उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या–16 / 2024

राज्य बनाम् हाईवा संख्या–JH24L-2412 के स्वामी एवं अन्य (पाँच वाहन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

07.06.2024

–:: आदेश ::–

यह राज्यसात की कार्रवाई जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–262 / खनन, दिनांक–18.03.2024 द्वारा रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–04 / 2024 में जप्त वाहन 1. हाईवा संख्या–JH24L-2412 में लदा लगभग 35 MT कोयला, 2. हाईवा संख्या–JH01DP-6866 में लदा लगभग 25 MT कोयला, 3. हाईवा संख्या–JH02AU-4910 में लदा लगभग 20 MT कोयला, 4. हाईवा संख्या–JH24J-2280 में लदा लगभग 20 MT कोयला, 5. हाईवा संख्या–JH24H-2112 में लदा लगभग 20 MT कोयला एवं 6. हाईवा संख्या–JH24J-6029 में लदा लगभग 20 MT कोयला को Jharkhand Minerals (Preventation of illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 11 (V) के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। जिसके आलोक में संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं सुनवाई की गई।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान कार्यवाही पोषणीय नहीं है। वर्तमान कार्यवाही जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा दायर प्राथमिकी जो वाहन के चालक, वाहन के मालिक एवं कोयला टेंडर के मालिक माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि० के विरूद्ध धारा–414 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120B I.P.C के तहत् धारा–4 / 21 माइस एवं मिनरल (Regulation & Development) Act-1957 and Section 9/13 & Jharkhand Minerals (Preventation of illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 अंतर्गत रामगढ़ थाना के अंतर्गत वाद संख्या–73 / 2024 दायर किया गया। वर्तमान वाद जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के आदेश ज्ञापांक–260 / खनन, दिनांक–18.03.2024 एवं पत्रांक–DR915/2024, दिनांक–17.03.2024 के आलोक में राहुल कुमार, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ के द्वारा थाना परिसर में दिनांक–16 / 17.03.2024 के रात्री गस्ती में प्रतिनियुक्त पदा० पु०अ०नि० सुरेन्द्र चौबे द्वारा राँची रोड से नईसराय के बीच कुमार पेट्रोल पम्प के पास सड़क पर संदेह के आधार पर दिनांक–17.03.2024 को समय 1:30 बजे से 2:00 बजे रात्री में राँची रोड के तरफ से आ रहे कुल छः वाहन कोयला लदा हाईवा को पकड कर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया जो इस प्रकार से है :–

1. हाईवा संख्या–JH24L-2412 में लदा लगभग 35 MT कोयला खनिज लदा हुआ पाया गया, जिसमें चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 के साथ झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० पता ग्राम–हेसला, अरगड्डा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा निर्गत Delivery Challan No.-168

दिनांक–16.03.2024 दो प्रतियों में पाया गया। JIMMS Portal पर जाँच के क्रम में प्रस्तुत चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार सी०सी०एल० द्वारा माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, कुजू को रेलवे के माध्यम से प्रेषण हेतु निर्गत है।

2. हाईवा संख्या–JH01DP-6866 में लदा लगभग 25 MT कोयला खनिज लदा हुआ पाया गया, जिसमें चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 के साथ झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० पता ग्राम–हेसला, अरगड्डा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा निर्गत Delivery Challan No.-166 दिनांक–16.03.2024 दो प्रतियों में पाया गया। JIMMS Portal पर जाँच के क्रम में प्रस्तुत चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार सी०सी०एल० द्वारा माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, कुजू को रेलवे के माध्यम से प्रेषण हेतु निर्गत है।
3. हाईवा संख्या–JH02AU-4910 में लदा लगभग 20 MT कोयला खनिज लदा हुआ पाया गया, जिसमें चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 के साथ झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० पता ग्राम–हेसला, अरगड्डा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा निर्गत Delivery Challan No.-167 दिनांक–16.03.2024 दो प्रतियों में पाया गया। JIMMS Portal पर जाँच के क्रम में प्रस्तुत चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार सी०सी०एल० द्वारा माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, कुजू को रेलवे के माध्यम से प्रेषण हेतु निर्गत है।
4. हाईवा संख्या–JH24J-2280 में लदा लगभग 20 MT कोयला खनिज लदा हुआ पाया गया, जिसमें चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 के साथ झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० पता ग्राम–हेसला, अरगड्डा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा निर्गत Delivery Challan No.-169 दिनांक–16.03.2024 दो प्रतियों में पाया गया। JIMMS Portal पर जाँच के क्रम में प्रस्तुत चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार सी०सी०एल० द्वारा माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, कुजू को रेलवे के माध्यम से प्रेषण हेतु निर्गत है।
5. हाईवा संख्या–JH24H-2112 में लदा लगभग 20 MT कोयला खनिज लदा हुआ पाया गया, जिसमें चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 के साथ झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० पता ग्राम–हेसला, अरगड्डा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा निर्गत Delivery Challan No.-171 दिनांक–16.03.2024 दो प्रतियों में पाया गया। JIMMS Portal पर जाँच के क्रम में प्रस्तुत चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार सी०सी०एल० द्वारा माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, कुजू को रेलवे के माध्यम से प्रेषण हेतु निर्गत है।
6. हाईवा संख्या–JH24J-6029 में लदा लगभग 20 MT कोयला खनिज लदा हुआ पाया गया। जिसमें चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 के साथ झारखण्ड इस्पात प्रा०लि० पता ग्राम–हेसला, अरगड्डा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा निर्गत Delivery Challan No.-168

दिनांक–16.03.2024 दो प्रतियों में पाया गया। JIMMS Portal पर जाँच के क्रम में प्रस्तुत चालान संख्या–C22403734/1, दिनांक–16.03.2024 अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार सी०सी०एल० द्वारा माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, कुजू को रेलवे के माध्यम से प्रेषण हेतु निर्गत है। उन्होनें आगे कहा है कि उक्त कोयला का परिवहन अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार रेवले साईडिंग से माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, रामगढ़ में किया जा रहा था, जिसका रेलवे प्राप्ति संख्या–R.R No.-181000002 दिनांक–16.03.2024 है। उक्त कोयला कम्पनी द्वारा अपने खुद का इस्तेमाल के क्रय किया गया है। चालान में त्रुटि के कारण कम्पनी का नाम माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि० के स्थान पर JIPL दर्ज हो गया है। दोनों एक ही ओनरशिप ग्रुप की सिस्टर कंपनियाँ है। माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि० कम्पनी के द्वारा वैध रूप से खरीदा गया कोयला है। इसलिए उक्त कम्पनी पर धारा–414/420/468/471 एवं 120B लागु नहीं होता है। उनका आगे कहना है कि खान निरीक्षक, रामगढ़ को प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम पदाधिकारी नहीं है। उन्होनें उक्त कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि वाहन में लदा कोयला से संबंधित कागजात (चालान) संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए नियमसंगत कार्रवाई की जा सकती है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता के द्वारा किये गये बहस एवं प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा गलत परिवहन चालान लगा कर कोयला खनिज का अवैध परिवहन किया जा रहा है। क्योंकि JIMMS Portal के अंतर्गत प्रस्तुत परिवहन चालान अशोका प्रोजेक्ट, पिपरवार सी०सी०एल० द्वारा माँ छिन्नमस्तिके सीमेंट एण्ड इस्पात प्रा०लि०, कुजू को रेलवे के माध्यम से प्रेषण हेतु निर्गत है। लेकिन कोयला हाईवा द्वारा परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी के द्वारा भी माना गया है कि चालान में त्रुटि है। विपक्षी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में कागजातों (चालान) में अगर किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी को यह भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में त्रुटि की पुनरावृत्ति ना हो।

अतः यथोचित प्रमाण नहीं होने के कारण जप्त वाहन 1. हाईवा संख्या–JH24L-2412 में लदा लगभग 35 MT कोयला, 2. हाईवा संख्या–JH01DP-6866 में लदा लगभग 25 MT कोयला, 3. हाईवा संख्या–JH02AU-4910 में लदा लगभग 20 MT कोयला, 4. हाईवा संख्या–JH24J-2280 में लदा लगभग 20 MT कोयला, 5. हाईवा संख्या–JH24H-2112 में लदा लगभग 20 MT कोयला एवं 6. हाईवा संख्या–JH24J-6029 में लदा लगभग 20 MT कोयला पर राज्यसात हेतु दायर वाद निरस्त किया जाता है। इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ को दें। इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापाल एवं शुद्धिकृत

Chandan 07/06/24
उपायुक्त
रामगढ़।

Chandan 07/06/24
उपायुक्त
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.07.09 18:36:09 +05:30
Location: 192.168.31.107